न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी—मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण सं.—122/2018 **दायरा दिनांकः—03.07.2018**

1. हरिराम पुत्र श्री चेतनराम जाति मेघवाल साकिन चक 8 एस.जी.एम. (खेत में ढ़ाणी) तहसील सूरतगढ़।
2. गणेशाराम पुत्र श्री मुलाराम जाति मेघवाल साकिन सहूवाला तहसील सूरतगढ़।
3. गुलाब देवी पत्नी श्री मघराम जाति मेघवाल साकिन सहूवाला तहसील सूरतगढ़।
4. इन्द्रा देवी पत्नी श्री जगदीश जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एस.जी.एम. (खेत में ढ़ाणी) तहसील सूरतगढ़।
5. उमादेवी पत्नी श्री भजनलाल जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एस.जी.एम. (खेत में ढ़ाणी) तहसील सूरतगढ़।
6. नाजम अली पुत्र श्री सुल्तान जाति मुसलमान साकिन चक 8 एस.जी.एम. (खेत में ढ़ाणी) तहसील सूरतगढ़।
7. मनशब अली पुत्र श्री सुल्तान जाति मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़।
8. नूर हसन पुत्र श्री सुलेमान जाति मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़।
9. फरीद खान पुत्र श्री सुलेमान जाति मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़।
10. अलीशेर पुत्र श्री रमजान जाति मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़।
11. हरफूल पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सहूवाला तहसील सूरतगढ़

— प्रार्थीगण

बनाम

1. पूर्णाराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट साकिन धाधुसर हाल निवास वार्ड न. 11 (श्मशान घाट के पीछे) सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
3. जसपाल सिह पुत्र श्री पूर्णसिह जाति जटसिख निवासी चक 2 केएनजे मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक, सूरतगढ़।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) उपनिवेशन अधिनियम सहपठित धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: उपस्थित :—

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट —प्रार्थीगण
2. श्री भगवानदत शर्मा एडवोकेट — अप्रार्थी न. 1, 3 ता 4
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार —अप्रार्थी न. 2

निर्णय **दिनांक :— 13.08.2020**

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण न. 1 ता 11 के नाम से चक 8 एसजीआर में अलग—अलग पत्थर नम्बरान में खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी न. 1 हरिराम के नाम चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 75/364 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 हैक्टर रकबा नाली दोयम मय खाला रास्ता व प्रार्थीगण न. 2 गणेशाराम के नाम इसी चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 75/364 के किला न. 2, 9, 12, 19, 22 में 1.265 हैक्टर व प्रार्थी न. 3 गुलाब देवी के नाम चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 75/364 किला न. 3, 8, 13 में 0.759 हैक्टर, प्रार्थी न. 4 इन्द्रा देवी के नाम चक 8 एस.जी.एम. पत्थर न. 76/364 के किला न. 2 ता 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 में 2.274 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:20:06 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 2.....पर

के साथ–साथ इस चक में कुल 6.196 हैक्टर रकबा खातेदारी है व प्रार्थी न. 5 उमादेवी के नाम से चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 66/364 के किला न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 1.706 हैक्टर रकबा खातेदारी है व प्रार्थी न. 6 व 7 नाजम अली व मनशब अली व उनके माता व भाईयों के नाम चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 76/365 के किला न. 1 ता 20 में 5.060 हैक्टर व पत्थर न. 77/365 के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.173 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.173 हैक्टर रकबा खातेदारी है। प्रार्थी न. 8 व 9 नूर हसन व फरीद खान व सहकाश्तकारों के नाम से चक 8 एस. जी.एम. के पत्थर न. 75/365 के किला न. 1 ता 15, 17, 18, 23, 24 में 4.580 हैक्. रकबा खातेदारी है व प्रार्थी न. 10 अलीशेर व उसकी माता व भाईयों के नाम से चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 75/366 के किला न. 15 ता 18, 21 ता 25 में 2.075 हैक्. रकबा खातेदारी है व प्रार्थी न. 11 हरफूल व उसके खाता के सहकाश्तकारों के नाम से चक 8 एस.जी.एम. के पत्थर न. 73/365 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 25 में 5.174 हैक्. रकबा खातेदारी है व अप्रार्थी न. 1 के नाम से पत्थर न. 76/363 के किला न. 13 ता 18, 23 ता 25 का 1.797 हैक्. नाली दोयम रकबा खातेदारी है। पक्की सड़क जो गॉव 8 एसजीएम से 9 एसजीएम से होते हुये सरदारगढ़ जाती है इस पक्की सडक से उतरकर प्रार्थीगण, अप्रार्थी न. 1 के नाम अंकित रकबा पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 के पूर्वी पासा पर मौका पर चल रहे 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता से होकर इस पत्थर लाईन के आगे के पत्थर न. 76/364 व 76/365 के किला न. 5–6–15–16–25 के मन्जूरशुदा रास्ता से अपने खेतों में आते जाते हैं। पत्थर न. 76/362 के किला न. 15–16–25 के पूर्वी पासा पर चालू रास्ता है जो पिछले 70–80 से अधिक वर्षो से मौका पर चल रहा है इस रास्ता को प्रार्थीगण व गॉव 8 एसजीएम व 9 एसजीएम व सरदारगढ़ के आमजन उपयोग करते हुए अपने–अपने खेतो में आते जाते है व अपने–अपने रकबा को काश्त करते है यह कदीमी रास्ता सार्वजनिक उपयोग का रास्ता है तथा इस रास्ता को प्रार्थीगण काश्तकारो ने मिट्टी भर्ती करके जमीन से करीब 1.5–2 फुट ऊंचा किया हुआ है ताकि बरसात के दिनो में रास्ता पर पानी न ठहर सके। मौका पर यह रास्ता अप्रार्थी 1 की सहमति से चल रहा है अप्रार्थी ने बसीर खां पुत्र बरकत से रकबा खरीदा था अप्रार्थी द्वारा रकबा खरीद करने से पहले से यह रास्ता चल रहा है। पक्की सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में नहर के स्थान पर बनी हुई है अप्रार्थी ने इस रास्ता को बन्द करने की धमकी दी है इसी वजह से प्राथीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी न. 1 के नाम के चक 8 एसजीएम क पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 के पूर्वी पासा पर 2 बिस्वा चौड़ाई में मौका पर पूर्व से ही चालू रास्ता को मन्जूर करने का निवेदन किया है व ग्राम पचांयत 7 एसजीएम द्वारा दिनाक 20.06.2018 को प्रस्ताव सख्या 1 पारित करके जनहित में यह रास्ता स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकार किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ चक 8 एसजीएम के पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 में से पूर्वी पासा पर उतर से दक्षिण पर चालू रास्ता को बन्द न करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनाक 03.07.2018 को जारी की गई। अप्रार्थी न. 1 की ओर से श्री भगवानदत शर्मा वकील उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र में अंकित के तथ्यो को इन्कार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया व इस रकबा के लिये पत्थर न. 75/363, 76/363 से मुख्य सड़क तक स्वीकृत शुदा रास्ता उपलब्ध है तथा बताया कि धारा 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में एक रास्ता उपलब्ध होते हुये नया रास्ता स्वीकृति का प्रावधान कतई नही है तथा धारा 251 (क) में भी पूर्व में रास्ता होने पर नया रास्ता नही मन्जूर किया जा सकता साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 में वर्तमान रास्ता जबरन बनाया है यह रास्ता अप्रार्थी न. 1 की भूमि में केवल 3–4 फुट ही चौड़ाई में है शेष यह रास्ता बसन्ती पत्नी विरेन्द्र कुमार जाट के पत्थर न. 75/363 के किला न. 11–20–21 में से है। जिसे प्रार्थीगण ने पक्षकार नही बनाया है बिना पक्षकार बनाये इस मामले कि सुनवाई नही की जा सकती इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जवाब प्रस्तुत होने के बाद तहसीलदार सूरतगढ़ से मौका पर चल रहे रास्ता के सम्बन्ध में रिपोर्ट मॉगी गई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने पत्र सं. 1851 दिनाक 20.12.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार पक्की डामरीकृत सड़क नजरिया नक्शा अनुसार नहर की भूमि पर बनी हुई है तथा पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 व 76/363 के किला न. 11–20–21 मे मौका पर रास्ता चल रहा है यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज व स्वीकृत नही है। सभी काश्तकार गॉव साहूवाला से मौका पर नहर की भूमि पर बनी पक्की सड़क से उतर ... वाला से मौका पर नहर हेतु आवागमन करते है तथा आगे यह रास्ता पत्थर ... 76/364, 75/365 के किला न. 5–6–15–16–25 के रास्ता में मिलान ... कर अपने–अपने खेतो काश्त ... पत्थर न. 76/364, 77/364, 78/364 के किला न. 1 ता 5 में जमाब... पर खाला चल रहा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:20:06 IST
Reason: SelfAttested

है। यहा से कभी भी रास्ता नही चला है तथा लम्बे समय से काश्तकारो द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। इसलिये यह रास्ता स्वीकार किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत निवेदन किया कि पत्थर न. 75/363 का किला न. 11–20–21 का रकबा जो पूर्व में बसन्ती देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार के नाम से था यह रकबा जसपाल सिह पुत्र पूर्णसिह ने रजिस्ट्रर्ड बैयनामा से खरीद लिया है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में जसपालसिंह के नाम अमलदरामद हो गया है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट एव गिरदावर हल्का मय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा जा रहा रास्ता इन दोनो पत्थर नम्बरान के बीच से होकर मौका पर चल रहा है। इसलिये जसपाल सिह को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे। जवाब अप्रार्थी प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्राप्त होने पर दिनाक 11.02.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ससोधित प्रार्थना पत्र पेश होने पर जसपालसिंह को तलब किया गया। प्रार्थीगण ने ससोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के लिये इस चक 8 एसजीएम के पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 में रास्ता मन्जूर किया जाये या विकल्प के तौर पर अप्रार्थी न. 1 के नाम के पत्थर न. 76/363 के किला न. 15/0.006325 हैक. व किला न. 16–25 के 0.013, 0.013 हैक. पूर्वी पासा में (उत्तर से दक्षिण) व अप्रार्थी न. 3 जसपाल सिह के नाम के चक 8 एसजीएम के पत्थर न. 75/363 के किला न. 11 में 0.006325 हैक. व किला न. 20–21 में 0.013, 0.013 हैक. पश्चिमी पासा में (उत्तर से दक्षिण) रास्ता स्वीकार किया जाकर कुल 2–2 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकार किया जावे।

प्रार्थीगण के संशोधित प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया व जवाब में अप्रार्थी न. 1 ने दर्ज किया है कि प्रार्थीगण पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 से जबरन आवाजाही कर रहे है व रास्ता स्वीकार होने से उनकी फसल को आवारा पशु नष्ट कर देगे व अप्रार्थी न. 3 जसपालसिंह ने भी अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त रास्ता से प्रार्थीगण जबरन आते जाते है पत्थर न. 75/364, 76/364, 77/364 के किला न. 1 ता 5 में से मन्जूरशुदा रास्ता हैं इसलिये जब अन्यत्र स्वीकृतशुदा रास्ता है तो प्रस्तावित रास्ता मन्जूर नही किया जा सकता। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। कानूनी नजीर डीएनजे 2017 पेज 299 से 302, आरआरडी 2016 पेज 28, आरआरडी 1999 पेज 507–509, आरबीजे 2006 पेज 773–776 व 2015 पेज 244–248 पेश की।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने संशोधित प्रा. पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा संशोधित प्रार्थना में अंकित अनुतोष में चाहा गया रास्ता स्वीकार किया जावे क्योंकि प्रार्थीगण इसी रास्ता से वर्षो से अपने अपने खेतों में आवागमन करते है। यह रास्ता आवश्यकता की श्रेणी में आता है सुविधा की श्रेणी में नहीं आता है। अतः संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। कानूनी नजीर आरआरडी 1988 पेज 41 व 372, आरएलडब्ल्यू 2003(1)पेज 577 की ओर ध्यान दिलाया।

अधिवक्ता अप्रार्थी 1 व 3 ने संशोधित जवाब प्रा.पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण हमारी भूमि में से जबरन आवाजाही कर रहे है व रास्ता स्वीकार होने से उनकी फसल को आवारा पशु नष्ट कर देंगे। पत्थर न. 75/364, 76/364, 77/364 के किला न. 1 ता 5 में से मन्जूरशुदा रास्ता हैं इसलिये जब अन्यत्र स्वीकृतशुदा रास्ता है तो प्रस्तावित रास्ता मन्जूर नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। कानूनी नजीर डीएनजे 2017 पेज 299 से 302, आरआरडी 2016 पेज 28, आरआरडी 1999 पेज 507–509, आरआरडी 2016 पेज 28, आरआरडी 2016 पेज 28, आरबीजे 2006 पेज 773–776 व 2015 पेज 244–248 की ओर ध्यान दिलाया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार एवं संलग्न नक्शा मौका एवं कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ अनुसार पक्की डामरीकृत सड़क नजरिया नक्शा अनुसार नहर की भूमि पर बनी हुई है जिस पर मौका पर आवागमन हो रहा है तथा पत्थर न. 76/363 के किला न. 15–16–25 व 76/363 के किला न. 11–20–21 मे मौका पर रास्ता चल रहा है यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृतशुदा नही है। गॉव साहूवाला से सभी काश्तकार मौका पर नहर की भूमि पर बनी पक्की सड़क से उतरकर इस रास्ता का उपयोग करते हुए अपने–अपने खेतो में काश्त करने हेतु आवागमन करते है तथा आगे यह रास्ता पत्थर न. 76/364, 75/365 के किला न. 5–6–15–16–25 के रास्ता में मिलान करता है। मुताबिक जमाबन्दी पत्थर न.75/364, 76/364, 77/364, 78/364 के किला न. 1 ता 5 [illegible] गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत है एवं दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौक पर प.नं. 76/364, 77/36[illegible] पर केवल खाला चल रहा है रास्ता मौका पर चालू नहीं है। एक रास्ता [illegible] 76/364, 76/[illegible] के कि.नं. 5–6–15–16–25

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:20:06 IST
Reason: SelfAttested

में दर्ज है तथा मौका पर चालू है। नजरी नक्शा अनुसार उक्त रास्ता आगे चकों की ओर जाता है। 76/364, 77/364, 78/364 में अंकित रास्ता जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु मौका पर चालू नहीं है यह रास्ता मौका पर चालू नहीं होने से उपयोगी नहीं है परन्तु उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता अब उपयोग किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर डीएनजे 2017 पेज 299 में प्रार्थीगण की भूमि में निर्मित मकान को तोड़कर रास्ता चाहा जा रहा था जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता की भूमि पर ऐसा कोई निर्माण नहीं है। नजीर आरआरडी 2016 पेज 28 से 30 चस्पा नहीं होती है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में मौका पर रासता की बजाय खाला चल रहा है। आरआरडी 1999 पेज 507–509 धारा 251,225 व 212 आरटीए के सम्बन्ध में है तथा नजीर आरबीजे 2006 पेज 773–776 व 2015 पेज 244–248 धारा 212 आरटीए के सम्बन्ध में है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर आरएलडब्ल्यू 2003(1)पेज 577 अनुसार रास्ता परिवर्तित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत है तथा रास्ता स्वीकृत कर सकता है। नजीर आरआरडी 1988 पेज 41 व 372 राज0 कालेनी कंडीशन (8) 2 पर होने से रास्ता स्वीकार किया जा सकता है परन्तु पूर्व में उक्त पत्थरों में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मौका पर नही चल रहा है, ऐसी स्थिति उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता खुलवाया जाकर काश्तकारान को अनुतोष दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राज. जनरल कालोनी कंडीशन 8 (2) सपठित धारा 251–क आरटीए अस्वीकार किया जाता है तथा पत्थर नम्बर 76/364, 77/364, 78/364 में रास्ता जमाबंदी में दर्ज है, किन्तु उक्त रास्ता मौका पर बंद है। इसलिये तहसीलदार सूरतगढ़ को उक्त रास्ता मौका पर जाकर खुलवाने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:20:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।